

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	990]
No.	990]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 1544(अ).—केन्द्रीय सरकार, भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) दी धारा 1 दी उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मई, 2016 वो उस तानीख के रूप में नियत करती है जिसवो उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्: —

क्रम सं.	धारा
1.	धारा 2
2.	धारा 20 से धारा 39
3.	धारा 41 से धारा 58
4.	धारा 71 से धारा 78
5.	धारा 81 से धारा 92

[फा. सं. ओ-17034/18/2009-एच]

राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O. 1544(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2016 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:–

Sl. No.		Section
1.	Section 2	
2.	Sections 20 to 39	
3.	Sections 41 to 58	
4.	Sections 71 to 78	
5.	Sections 81 to 92	

[F. No. O-17034/18/2009 –H] RAJIV RANJAN MISHRA, Jt. Secy.